**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 45

उत्‍तर देने की तारीख : 24.11. 2014

**अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु व्यय**

**45. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यपः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

देश में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति देने के लिए पिछले दस वर्षों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया)**

सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए दो विशिष्‍ट योजनाएं अर्थात मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-बाद छात्रवृत्ति प्रदान करता है। छात्रवृत्ति पर गत दस वर्षों के दौरान व्‍यय की गई राशि का मंत्रालय द्वारा उपलब्‍ध कराया गया विवरण नीचे दिया गया है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत व्‍यय  (रूपए करोड़ में) | |
| मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | मैट्रिक-बाद छात्रवृत्ति |
| 2004-05 | 18.75 | 24.67 |
| 2005-06 | 19.71 | 26.41 |
| 2006-07 | 25.27 | 28.04 |
| 2007-08 | 24.99 | 125.17 |
| 2008-09 | 32.17 | 180.00 |
| 2009-10 | 31.54 | 172.97 |
| 2010-11 | 44.71 | 353.32 |
| 2011-12 | 40.69 | 527.99 |
| 2012-13 | 47.01 | 666.86 |
| 2013-14 | 115.99 | 768.56 |

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो छात्रवृत्ति योजनाएं नामत: केन्‍द्र प्रायोजित राष्‍ट्रीय साधन-सह-योग्‍यता छात्रवृत्ति योजना और कॉलेज एवं विश्‍वविद्यालय छात्रों के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना चलाता है। केन्‍द्र प्रायोजित राष्‍ट्रीय साधन-सह-योग्‍यता छात्रवृत्ति योजना मई, 2008 में आरम्‍भ की गई थी, जिसका उद्देश्‍य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के VIIIवीं कक्षा में स्‍कूल छोड़ने पर रोक लगाने और माध्‍यमिक स्‍तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्‍साहित करने के लिए उन्‍हें छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्‍य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण लागू है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक छात्रवृत्ति-संस्‍वीकृति पर 323.56 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है। कॉलेज एवं विश्‍वविद्यालय के छात्रों के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना 2008-09 में आरम्‍भ की गई थी जिसका उद्देश्‍य उन मेधावी छात्रों, जो किसी विशेष परीक्षा बोर्ड में संबंधित विषय में उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों के 80 प्रतिशत अंक से ऊपर रहते हैं, को वित्‍तीय सहायता प्रदान करना है। यह आरक्षण आंतरिक निर्धारण के अध्‍यधीन सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार है। योजना की शुरूआत अर्थात् शैक्षिक वर्ष 2008-09 से आज की तारीख तक इस योजना में 771.28 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है।

तथापि, अन्‍य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को इन दो छात्रवृत्तियों के संवितरण संबंधी आंकड़े केन्‍द्र स्‍तर पर नहीं रखे जाते है।

\*\*\*\*\*